



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
पोस्ट-फाटोडा, मडगाँव, दक्षिण गोआ 403602

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF MINES  
INDIAN BUREAU OF MINES  
OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES  
P.O. Fatorda, Madgao, South Goa – 403602

संख्या: महा/सिन्धु/एफ.ई.-1/गोवा

खानकोड 30MSH28017

दिनांक : 13-04-2016

सेवामें

श्री डी. आर. वाजे, महाप्रबन्धक एवं खान ऐजेन्ट,  
गोगटे मिनरल्स,  
सिडाडे डे गोवा, वैन्गुइनिम बीच, डोनापोला, गोवा-403004

विषय: महाराष्ट्र राज्य के सिन्धुदुर्ग जिले के सावंतवाडी तालुका में स्थित आपकी तिरोडा लोह अयस्क खान 34.4812 हेक्टेयर में  
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.03.2016 को आपकी और श्री सुभाष लिंग्यात, खान प्रबन्धक की उपस्थिती में उपरोक्त खान का  
निरीक्षण में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन पाया गया था।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
13(1)	The mining operations in the lease area are not carried out as per approved mining plan and scheme of mining and following deviations are observed during inspection. a) It was proposed in Para 3(d) & plate 5 of Mining Plan to drill 6 boreholes each from 2010-11 to 2014-15; however mining operations were suspended due to challenge of EC in NGT court from 24.09.2011 to 16.12.2013. It was proposed in Para 1.0(i) & plate 5 of approved scheme of mining to drill 13 boreholes in western block during 2015-16. It is observed during inspection of mine that proposal of 6 boreholes each from 2010-11 to 2014-15 covering 30 boreholes are not yet commenced. Four boreholes were drilled during 2011-12 inside the pit to ascertain the grade of the ore. It was assured vide your reply dated 24.06.2014 to resume the core drilling within 15 days and complete the exploration by end of the year 2014-15. Proposal of 13 boreholes during 2015-16 is not found complied till date of inspection.
42(1)(c)(i)	Every holder of a mining lease shall employ a whole-time mining engineer in case of category 'A' mines and in the case of fully mechanized category 'A' mines, the mining engineers shall have minimum ten years of professional experience of working in a supervisory capacity in the field of mining. You have not intimated to this office in Form-I for appointment of Shri Nilesh Raut and termination of Shri Rajesh Kumar as mining engineer in the mine.

02. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है।

03. उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) के अन्तर्गत खान में सभी खनन संक्रियाएँ बन्द की जा सकती हैं।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिती की जानकारी इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(गिरीश कुमार जांगिड)  
उप खान नियंत्रक

प्रतिलिपी सूचनार्थ : 1. खान नियंत्रक (द. आ.) भारतीय खान ब्यूरो, बैंगलूरु

2. निर्देशक, भूविज्ञान एवं खान विभाग, पुराना सचिवालय भवन, पोस्ट बेग नम्बर-111, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440001

3. जिला खनन अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक इमारत, तल मंजला, दालन न.122, खनिकर्म शाखा, आरोस, सिन्धुदुर्गनगरी, 416812

(गिरीश कुमार जांगिड)  
उप खान नियंत्रक